अति आवश्यक/समयवद्ध/ ई–मेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

1–निदेशक /प्राचार्य/प्रधानाचार्य, समस्त शैक्षणिक संस्थान,
जनपद– देहरादून।

2– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी देहरादून।

पत्रांक/1727/सक/ ऑन लाईन छा0/2018–19 दिनांक– 9/11/2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 के छात्र–छात्राओं के ऑनलाईन आवेदनों को एन0एस0पी0 (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल) पर आमंत्रित करने तथा संस्थान द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी काय्रलय को अग्रसारित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्र सं–3308 दिनांक 6 नवम्बर 2018 का सन्द्रर्भ ग्रहण करन का कष्ट करें जिसके द्वदारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के छात्रवृत्ति **(पूर्वदशम तथा दशमोत्तर)** तथा ई0बी0सी0 योजनान्तर्गत छात्र–छत्राओं के ऑनलाईन आवेदनो को **एन0एस0पी0(राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल)** पर ऑनलाईन आमंत्रित करने हेतु पोर्टल खोला गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ऑनलाईन छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है। **(निर्धारित तिथियों का विवरण संलग्न) है।**

अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित तिथियों के अनुसार आपके संस्थान/कालेजों/स्कूलों में अध्ययनरत छात्र– छात्रओं के को सूचित करते हुये निर्धारित तिथि तक छात्र ऑनलाईन करते हुये आपके स्तर से भी निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय देहरादून को अग्रसारित करना सुनिश्चित करनें का कष्ट करें, यदि उक्त तिथि तक आपके संस्थानों/कालेजों/ स्कूलों में कोई छात्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन करने से वंचित रह जाता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान/कालेज/स्कूल की होगी।

संलग्न– ऑन लाईन निर्धारित तिथियों,
का विरण पत्र।

भवदीय,
9/XI/2018

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
देहरादून।

पृ0सं0/ /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1–निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी की सेवा में उनके पत्र सं–3308 दिनांक 6 नवम्बर 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी(मा0) जिला शिक्षा अधिकारी (बेशिक) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित के आप भी अपने स्तर से समस्त अधिनस्त प्रधानाचार्यो एवं प्रधानाध्यपकों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि संलग्न निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र ऑनलाईन करते हुये अद्योहस्ताक्षरी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून